न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी निग/3442/III/15

1. शिवनन्दन सिंह पुत्र श्री विशन सिंह यादव
2. रामसिंह पुत्र श्री विशन सिंह यादव
   निवासीगण ग्राम बारई तह. बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

—— आवेदकगण

बनाम

भगवानदास गौड़ श्री बाबूलाल गौड़ निवासीगण ग्राम जगतपुर कोलारस बहैसियत, अधिकृत कम्पनी डायरेक्टर पीपुल्स इन्प्राटेक इण्डिया लिमिटेड

—— अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 19/10/15 को प्रस्तुत

19/10/15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 187/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक29.09.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

19.10.15

माननीय महोदय,

श्रीमान् की सेवा में निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है आवेदकगण द्वारा कभी भी अनावेदक के सर्वे क. 65 रकवा 1.00 हें. सीमा संबंधी विवाद नही किया गया है। आरोप गलत एवं निराधार है। रेस्पो.गण के सर्वे नं. 65 पर महेन्द्र सिंह पुत्र विशनसिंह के भूमि स्वामी स्वत्व के सर्वे नम्बर 66 रकवा 0.650 हें. मेढ़ पर स्थित है। जिसमें अनावेदक के द्वारा लगाई गई केसर मशीन के डष्ट उड़कर खेत में पहुचंती है। और फसल को प्रति वर्ष नष्ट कर रही है। केसर की डष्ट अर्थात धूल से रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट का भाई महेंन्द्र काफी परेशान है। और डष्ट उड़ने को लेकर ही विवाद होता रहता है। विवाद का अन्य कोई कारण नही है। एवं नही सीमा संबंधी या भूमि दवाये जाने का कोई विपाद है। डष्ट उड़ने से प्रति वर्ष अपीलान्ट के भाई महेन्द्र सिंह यादव का प्रतिबर्ष 5 लाख रूपये का नुकसान हो रहा है। और गत 3 वर्ष से डष्ट उड़ने से पूरी फसले चौपट हो रही है। आवेदकगण को अकारण ही परेशान करने के लिये उक्त प्रकरण प्रचलित किया है। जिसके सम्बन्ध में अनावेदक ने तहसील न्यायालय बदरवास जिला शिवपुरी के प्र.क. 27/अ–70/12–13 पर दर्ज किया जा कर जिसमें पारित आदेश दिनांक 18.02.2014 से आवेदकगण के बिरूद्ध अवैध कब्जा मान कर वैदखल करने के आदेश पारित किये हैं। साथही 60,000/— रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3412–तीन/2015 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्रकरण कमांक 187/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ने आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। आयुक्त ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 29–9–15 को प्रकरण दर्ज ग्राह्य एवं पक्षकार तलब करने के आदेश दिये हैं। स्थगन आवेदन पर कोई निर्णय नहीं किया है तथा आगामी पेशी दिनांक 19–10–15 नियत की है। दिनांक 19–10–15 को क्या कार्यवाही हुई इसकी कोई जानकारी आवेदक ने नहीं बताई है जबकि आवेदक ने यह निगरानी 19–10–15 को प्रस्तुत की है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

19 November 2015